संलग्नक- 2

संख्या-2363 /38-4-2002-4/2000टीसी-4

प्रेषक,

मु0 हलीम खॉ,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक::27 जुलाई, 2002

विषय- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण सड़क योजना एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-3446/38-4-2001, दिनांक 8-7-2001 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा योजना के कियान्वयन हेतु भारत सरकार से निर्गत मैनुवल की प्रति उपलब्ध कराते हुये विस्तृत निर्देश प्रसारित किया गया है । उक्त मैनुवल की प्रस्तर-2.37 एवं 3.4 में मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में व्यवस्था दी गयी है । तद्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-3705/38-4-2001, दिनांक 22-7-2001 के प्रस्तर-V एवं VI में मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण के सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है ।

2- योजना के कियान्वयन में मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है :-

क- भारत सरकार के निर्देशानुसार मा0 सांसदगण एंवं विधायकगण से अनुरोध कर लिया जाय कि वे अपना प्रस्ताव दे दें ।

ख- इन प्रस्तावों पर संबंधित क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा विचार किया जाना अनिवार्य होगा ।

ग- विकास खण्ड स्तरीय टीम द्वारा इन प्रस्तावों को सूचीबद्ध किया जाय तथा प्रत्येक के बारे में टिप्पणी इंगित की जायेगी, कि इन्हें शामिल किया गया है या नहीं, और यदि नही तो कारण दर्शायें जायेगें ।

घ- मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण को जिला पंचायत की बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाय ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित की जाय ।

भवदीय,

(मु0 हलीम खॉ)
सचिव ।

संख्या- 2363 (1)/38-4-2002-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-12025/6/2001-आर0सी0, दिनांक 31-5-2002 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।
2- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन, नई दिल्ली ।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश की प्रतियां समस्त जनपदों एवं मण्डलों को प्रेषित करते हुये इसका प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें ।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी यथा-आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुये इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट कर
8- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10- मुख्य अभियन्ता / निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(मु0 हलीम खॉ)
सचिव।